बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–04 / निदे0महा0वि0मि0–183–08 / 2026– 60

प्रेषक,

प्रियंका रानी भा0प्र0से0,

निदेशक

सेवा में,

अवर सचिव,
–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 25/05/2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद्द में ₹2,25,11,940 एवं सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में ₹33,00,000 अर्थात कुल राशि ₹2,58,11,940 (दो करोड़ अन्ठावन लाख ग्याहर हजार नौ सौ चालीस रू०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुसूचित जनजाति के विकास सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद में ₹2,25,11,940 एवं सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में ₹33,00,000 अर्थात कुल राशि ₹2,58,11,940 (दो करोड़ अनठावन लाख ग्याहर हजार नौ सौ चालीस रू०) मात्र अनुदान के रूप में उपलब्ध कराते हुए योजना के कार्यान्वयन करने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय करने की स्वीकृति पत्रांक–47 दिनांक–18.05.2026 द्वारा प्रदान की गयी है।

2– उक्त स्वीकृत्यादेश, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–314 दिनांक–01.04.2026 तथा महादलित विकास मिशन को अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद में ₹2,25,11,940 एवं सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में ₹33,00,000 अर्थात कुल राशि ₹2,58,11,940 (दो करोड़ अनठावन लाख ग्याहर हजार नौ सौ चालीस रू०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3–आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम मद से मांग संख्या–44 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु शीर्ष 102–आर्थिक विकास उपशीर्ष 0105–अनुसूचित जनजाति विकास हेतु–विषय शीर्ष–0105.31.05–सहायक अनुदान–वेतन 31.05–सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण मद–0115.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन, विपत्र कोड–44–2225021020105 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4–इस आवंटित राशि के लिए निकासी पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे राशि बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को पी०एल० खाता संख्या–PTSPLA012 में हस्तांतरित करेंगे। मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में कंडिका–3 में उल्लेखित मद पर ही उक्त राशि का व्यय किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5–राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–314 दिनांक–01.04.2026 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेश के आलोक में करेंगे।

6–महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

7–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

8–राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन पटना पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा योजना से संबधित मासिक व्यय विवरणी एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को विधिवत निर्धारित समय पर उपलब्ध करायेंगे।

9–सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

10–वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट प्रावधान एवं उद्व्यय उपलब्ध है।

विश्वासभाजन,

25/5/26

निदेशक

ज्ञापांक–04/निदे0महा0वि0मि0–183–08/2026– 60 दिनांक– 25/05/2026

प्रतिलिपि (1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग/निगरानी विभाग/योजना विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) अपर सचिव/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक (मु०)/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07जी0 (दोहरी प्रति में)/आई० टी० मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी–प्रशाखा–4डी0/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक